17/07/23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी बहस सुनी गयी आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

करण संख्या :– 09/2020

अपीलाण्टगण

1. डूंगरा वल्द करमी
2. जीवा वल्द करमी
3. लुम्बा फौत के कायम मुकामः–
   3/1 स्व0 वीरमा फौत के काम मुकामः–
   3/1/1 शंकराराम
   3/1/2 भगाराम
   3/1/3 नाजूदेवी
   3/2 गंगाराम
   3/3 वगताराम
   3/4 कनकोदेवी
   कौम कलबी साकिन सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदातागण

1. ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान द्वारा सरपंच
2. स्व0 कचला फौत के कायम मुकाम :–
   2/1 मालाराम
   2/2 नीम्बाराम
   2/3 आदाराम
   कौम कलबी साकिन सिन्धासवा हरनियान ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे/एस.बी.आई. गुड़ामालानी
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 139, 140, 141 दिनांक 09.06.1973 ग्राम पंचायत सिन्धासवा हरनियान द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता अपीलाण्टगण**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–17/7/23

अपीलान्टगण ने यह अपील ग्राम पंचायत सिन्धासवा हरनियान द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश संख्या 139, 141, 141 दिनांक 09.06.1973 के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान सरपंच ने ग्राम पंचायत सिन्धासवा हरनियान के राजस्व ग्राम सिंधासवा हरनियान के नामान्तकरण संख्या 139, 140, 141 दिनांक 09.06.1973 कृषि भूमि का खाता विभाजन होने पर नामान्तरण संख्या एक ही दर्ज करनी थी मगर जानकारी के अभाव में अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त तीन अलग–अलग नामान्तरण संख्या दर्ज कर दिये गये, जिसमें पक्षकारान के कब्जा काश्त व हक हिस्से में भारी भिन्नता रखी गई। अपीलाण्ट आजतक यही समझते रहे कि

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अपीलाधीन भूमि में उनका हक सुरक्षित है, लेकिन रेस्पोडेन्ट्स उक्त नामान्तरकरण का गलत फायदा उठाते हुए उसे बेचान करने पर उतारू होने पर राजस्व रेकर्ड की जानकारी लेने पर उक्त भूल का ज्ञान होने पर उक्त विधिविरूद्ध पारित नामान्तरकरण अपास्त कराने हेतु यह अपील लाया जाना आवश्यक होने से पेश की गई साथ ही जानकारी के अभाव में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। .

अपीलान्ट्स की अपील दर्ज कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से उत्तरदातागण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलाण्ट्स की अपील के तथ्यों के सम्बन्ध में उत्तरदाता संख्या 4 भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट कमांक 05 दिनांक 01. 12.2021 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान के नामान्तरकरण संख्या 139, 140, 141 स्वीकृत दिनांक 09.06.1973 के अनुसार माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 25. 09.1972 के द्वारा खसरा संख्या 63, 218, 328 रकबा कमशः 23—10, 20—08, 37—12 बीघा कुल रकबा 81—10 बीघा करमी वल्द रामजी कौम कलबी, खसरा संख्या 146, 389 रकबा कमशः 30—02, 70—13 बीघा कुल रकबा 100—15 बीघा, लुम्बा वल्दरामजी कौम कलबी खसरा संख्या 101, 188, 199/1, 199/2 रकबा कमशः 15—11, 34, 18, 75—03, 10—02 बीघा कुल रकबा 135—14 बीघा, कचरा वल्द रामजी कौम कलबी के नाम दर्ज किया गया। इस नामान्तरकरण को सरपंच ग्राम पंचायत सिन्धासवा हरनियान द्वारा किया गया जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से परे है। वर्तमान में खसरा संख्या 218, 328, 389, 188, 191/1, 199/2 की भूमि पर तीनों भाईयों का कब्जा काश्त व ढाणियां बनी हुई हैं। उक्त तीनों खातेदारों में से करमी फौत होने पर उसके वारिशान डूंगरा जीवा वि० करमी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये। खातेदार कचरा फौत है जिसके जायन्दा वारिसान मालाराम नीम्बाराम आदाराम केरी मोरो पि० कचराराम कनकोदेवी पत्नी कचराराम है। उक्त खसरों के समस्त खातेदार भूमि में असामानता कब्जा काश्त रेकर्ड से भिन्न होने से सभी खसरों का एक साथ कर नये से विभाजन करवाने में सहमत हैं। अतः ग्राम सिंधासवा हरनियान के खसरा संख्या 218, 328, 146, 389, रकबा कमशः 20—08, 37—12, 30—02, 70—13 बीघा तथा ग्राम प्रतापगढ़ के खसरा संख्या 63, 101, 188, 199/1, 199/2 रकबा कमशः 22—16, 15—11, 34—18,75—03, 10—02 बीसस भूमि के

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

विभाजन के नामान्तकरण संख्या 139, 140, 141 को खारिज कर समस्त खातेदारों के नाम दर्ज किया जाना उचित है।

अपील पर अपीलान्ट्स के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। अपील के तथ्यों के सम्बन्ध में भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 05 दिनांक 01.12. 2021 से यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलाधीन नामान्तरणकरण ग्राम पंचायत सिन्धासवा हरनियान द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किये गये हैं जिससे पक्षकारान के वास्तविक कब्जा–काश्त व राजस्व रेकर्ड में भिन्नता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या संख्या 139, 141, 141 दिनांक 09.06.1973 ग्राम पंचायत सिन्धासवा हरनियान द्वारा त्रुटिपूर्ण भरा गया है। जहां कोई आदेश Void ab entio हो, वहां उसे किसी भी समय चुनोती दी जा सकती है। यद्यपि विधि विरूद्ध आदेश को बनाये रखना भी न्यायोचित नहीं है। अपील विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध मे अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया है, अतः अपील अन्दर म्याद शुमार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपील के तथ्यों एवं वस्तुस्थिति को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सिन्धासवा हरनियान द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश संख्या 139, 141, 141 दिनांक 09.06.1973 को निरस्त किया जाता है तथा राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण पारित होने से पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 17/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी
(S.D.O) गुड़ामालानी